RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

गंगा सद्भावना संदेश

VOLUME I, ISSUE I OCTOBER 22, 2018

क्या चाहते थे स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद?

स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद

- जीतसिंह

गंगा को उसकी प्राकृतिक निर्मलता एवं अविरलता प्रदान करने के लए अनशनरत् स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (प्रो0 जी0डी0 अग्रवाल) ने अपनी देह त्याग दी। उनका यह अनशन 22 जून से 11 अक्टूबर 2018, कुल 111 दिन तक चला। स्वामी सानंद के अलावा गंगा की अवरिलता की मांग को लेकर वर्ष 2011 में स्वामी निगमानंद तथा 2014 में बाबा नागनाथ योगेश्वर ने भी लंबे अनशन के बाद अपने प्राण त्यागे थे। स्वामी सानंद ने निम्नलिखित 4 मांगों के लिए यह अनशन किया था।

1. गंगा महासभा द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट को कानूनी मान्यता देना और इसके निम्नलिखित दो मुख्य प्राविधानों का अतिशीघ्र पालन करना।

   क. अलकनन्दा, घौली, नन्दाकिनी, पिण्डर तथा मन्दाकिनी नदियों पर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करना।

   ख. गंगा बेसिन क्षेत्र में वन कटान, खनन तथा खुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना

2. गंगा भक्त परिषद का गठन करना जो गंगा के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था हो।

अपने अनशन से पहले और अनशन के दौरान स्वामी सानंद जी ने प्रधानमंत्री को पांच पत्र लिख कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत किया। 30 सितम्बर 2018 को लिखे अपने अंतिम पत्र में स्वामी जी ने दुःख जताया कि उनके लंबे अनशन एवं कई पत्रों के बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद जी की मृत्यु निःसंदेह अपूरणीय क्षति है लेकिन यह समाज एवं सरकार के लिए भी शर्मनाक बात है।

स्वामी सानंद की मांगे जिनके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया

- **गंगा महासभा द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट को संसद में पास करना**
- **अलकनन्दा, घौली, नन्दाकिनी, पिण्डर तथा मन्दाकिनी नदियों पर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करना।**
- **गंगा बेसिन क्षेत्र में वन कटान, खनन तथा खुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना**
- **गंगा भक्त परिषद का गठन करना जो गंगा के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था हो।**

आखिर क्या करण है कि सरकार उनके सत्याग्रह को नजरअंदाज और उनकी मांगों की उपेक्षा करती रही? ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की जो स्वामी सानंद की मृत्यु तक इस मुद्दे पर मूक एवं बधिर बनी रही? इन प्रश्नों के जवाब गंगा के पुर्नजीवीकरण के लेकर प्रस्तावित दो कानूनों की पड़ताल से मिलते हैं।

पहला कानून गंगा महासभा द्वारा 2012 में प्रस्तावित किया था और दूसरा कानून भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी ने 2017 में तैयार किया। इन दोनों प्रस्तावित कानूनों की ड्रफ्टिंग न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी की अध्यक्षता में हुई। हालांकि ये दोनों कानून अपने एप्रोच, प्रबन्धन, नियोजन एवं संसाधनों के उपयोग आदि कई मामलों में परस्पर विरोधी हैं। स्वामी सानंद जिन मांगों के लिए अपनी जान दे दी है उन्हें समझने के लिए गंगा सभा द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण एवं प्रबन्धन) अधिनियम, 2012 के प्रस्तावित प्राविधानों को जानना जरूरी है।

"गंगा सभा द्वारा प्रस्तावित कानून गंगा को राष्ट्रीय नदी एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देते हुए गंगा की अविरलता एवं निर्मलता को प्रभावित करने वाले कारकों पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव करता है। इस कानूनी प्रस्ताव का उद्देश्य गंगा को उसके नैसर्गिक स्वरूप जिसमें अविरल एवं निर्मल धारा एवं सम्पन्न परिस्थिकी को पुर्नजीवित करना है।"

गंगा सभा द्वारा प्रस्तावित कानून गंगा को राष्ट्रीय नदी एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देते हुए गंगा की अविरलता एवं निर्मलता को प्रभावित करने वाले कारकों पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव करता है। इस कानूनी प्रस्ताव का उद्देश्य गंगा को उसके नैसर्गिक स्वरूप जिसमें अविरल एवं निर्मल धारा एवं सम्पन्न परिस्थिकी को पुर्नजीवित करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून गंगा को उसकी पारिस्थितकीय विशेषताओं के आधार पर 8 जोन में विभाजित कर जोन स्तरीय संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना तैयार करने का अनुरोध करता है।

यह योजना न सिर्फ गंगा में पर्यावरणीय प्रवाह को बनाये रखने की वकालत करती है बल्कि क्षतिग्रस्त हुए पारिस्थितकीय तंत्र को पुर्नस्थापित करने पर भी जोर देता है। यह दस्तावेज गंगा की नैसर्गिक विशेषताओं की बात करते हुए उसके जल की गुणवत्ता एवं विशेषताओं को दुबारा हासिल करने का वचन भी लेता है।

इस विशिष्ट कार्य हेतु यह कानूनी प्रस्ताव गंगा व उसके आस-पास कई कार्यों को प्रतिबंधित करता है। उदाहारण के लिए गंगा में गंदे पानी के प्रवाह, गंगा किनारे कचरे का निस्तारण, हरे वनों के कटान, मांस आधारित उद्योगों, सभी प्रकार के खनन, औद्योगिक, आवासीय व सिंचाई हेतु गंगा जल का दोहन एवं रासायन या कीटनाशकों का प्रभाव पूर्णतः वर्जित करने का प्रस्ताव है। हालांकि गंगा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलूओं का आदर करते हुए और गंगा पुर्नजीविकरण में उनकी अहम भूमिका को समझते हुए घरेलू उपयोग के लिए जल का दोहन एवं नदी किनारे दाह-क्रिया करने की अनुमति यह ड्राफ्ट देता है।

यह कानूनी प्रस्ताव इस कानून के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय गंगा प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राधिकारण, गंगा के पुर्नजीविकरण हेतु नीति निर्माण एवं उसकी देख-रेख करेगा।

गंगा के पुर्नजीवीकरण एवं उसके प्रवाह को अविरल बनने के लिए संघर्षरत् तमाम साधू, संत एवं पर्यावरणविद् उरोक्त कानूनी प्रस्ताव को संसद में पारित करने की मांग करते रहे हैं। इसी दिशा में जलपुरूष श्री राजेन्द्र सिंह जी की अगुवाई में कई लोग आजकल गंगा सद्भावना यात्रा का आयोजन कर रहे है। यह यात्रा 30 सितंबर 2018 को गौमुख से रवाना हुई है और 15 जनवरी 2019 को गंगासागर पहुंचेगी। इन्हीं मांगों को लेकर मातृ सदन केे स्वामी गोपाल दास भी विगत 24 जून से अनशन कर रहे हैं।

हालांकि वर्तमान सरकार को यह कानूनी मसौदा रास नहीं आया और भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक नई कमेटी का गठन कर नया मसौदा तैयार करने को कहा। इस कमेटी ने 2017 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जिसके प्राविधान पूर्ववर्ती मसौदे से काफी भिन्न हैं। जहां पूर्ववर्ती मसौदा वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग से गंगा का पुर्नजीवीकरण करना चाहता है, यह मसौदा गंगा पर पहरा बिठाकर गंगा की सुरक्षा करना चाहता है। इस मसौदे में गंगा वाॅलेंटियर फोर्स तैयार कर गंगा किनारे लोगों पर निगरानी रखने व प्रतिकूल कार्य करने पर दण्ड देने का जिम्मा सौंपा गया है।

हालांकि यह मसौदा भी गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह को बनाये रखने की बात करता है लेकिन इसके तमाम प्राविधान इस उद्देश्य के प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं। जहां एक ओर यह कानून लोगों को रासायनिक खेती आदि करने पर दण्डित करने का प्राविधान रखता है वहीं दूसरी ओर तमाम प्रकार के उपक्रमों, उद्योगों और परियोजनाओं को गंगा या उसके किनारे स्थापित करने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली समेकित विकास काउन्सिल का मुख्य कार्य गंगा या उसके आस-पास इन व्यापारिक गतिविधियों को लाईसेंस देने का होगा। कहा जा सकता है कि यह कानूनी मसौदा गंगा से कमाई करने के सारे रास्ते खोलता है।

यह नया मसौदा अभी संसद में नहीं रखा गया लेकिन इस मसौदे से सरकार की मंशाहत का अंदाजा लगाया जा सकता। गिरधर मालवीय अपने 2012 के मसौदे में गंगा के पुर्नजीवीकरण का विस्तृत प्लान तैयार करते हैं लेकिन 2017 में वे सरकारी कमेटी में रहते हुए गंगा के व्यापारिक दोहन का खाका तैयार करते हैं। सरकार निःसंदेह नहीं चाहती है कि 2012 का प्रारूप को आगे ले जाया जाय। इसीलिए नई कमेटी गठित की गई और स्वामी सानंद की मांगों की उपेक्षा की गई।

*****

"प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाली समेकित विकास काउन्सिल का मुख्य कार्य गंगा या उसके आस-पास इन व्यापारिक गतिविधियों को लाईसेंस देने का होगा। कहा जा सकता है कि यह कानूनी मसौदा गंगा से कमाई करने के सारे रास्ते खोलता है।"

Reviving the River of Life

Jasleen Kaur

"The base flow amount of the river Ganga has decreased by 56 per cent from 1970s to 2016."

The Ganga basin, a home to half of the 1.25 billion population of India, is the most populated river basin in the world. Despite being the symbol of Indian Culture and heritage and existence of several schemes and programmes for Ganga rejuvenation, the dismal state of the river as we see today is of great concern. Further, according to a latest study published in Nature by three professors from IIT Kharagpur, the base flow amount of the river has decreased by 56 per cent from 1970s to 2016.

Understanding the significance of the Ganges, a veteran Environmentalist Swami Gyan Swarup Sanand (Prof. GD Agarwal), who passed away while observing a 111 day fast unto death had demanded an uninterrupted flow of River Ganga and rejection of water diversion projects. The government did not address his demands but recently, released a notification on environment flows (e-flows). While the government claims that the notification addresses the demands raised by the Ganga Warrior, Swami Sanand had refuted it few hours before his death. Moreover, the notification invited several criticisms on account of various reasons from environmentalists and the scientific community.

"The latest notification issued by the government for E-flow of river Ganga is only a "half hearted" attempt at reviving the river."

In this context, it becomes relevant to understand what e-flows are and how the government notification is only a "half hearted" attempt at reviving the river. The government of India issued a gazette notification on October 10, 2018 to ensure minimum flow in the river Ganga. It notifies minimum flow at different seasons in upper Ganga river basin (from the source of its origin through the respective confluences up to Haridwar) and Main stem of the river from Haridwar to Unnao. For upper Ganga stretch, the government notified a flat 20% flow (of monthly average flow observed during each of preceding 10 daily period) for dry season (November to March). Similarly, it notified a 25% flow for the lean season (October, April and May) and 30% of monthly flow of high flow season (June to September).

E-Flows and Inadequacies with the Latest Notification

According to World Wildlife Fund (WWF), Environmental flows are defined in terms of quantity, quality and timing of water running through rivers and wetlands. Therefore, any estimation of the flow limits must take into account the spatial and temporal flow of the river. This requires

scientific methodology as well as site-specific assessments of the flows along the 2500km long stretch of the river. However, according to Vinod Tare, a member of the government committee to study e-flow of Ganga, the limits in the range of flat 20-30% in the notification are questionable and baseless (Down To Earth). Further, these do not conform to the recommendations given by the 2013 report of the consortium of 7 IITs.

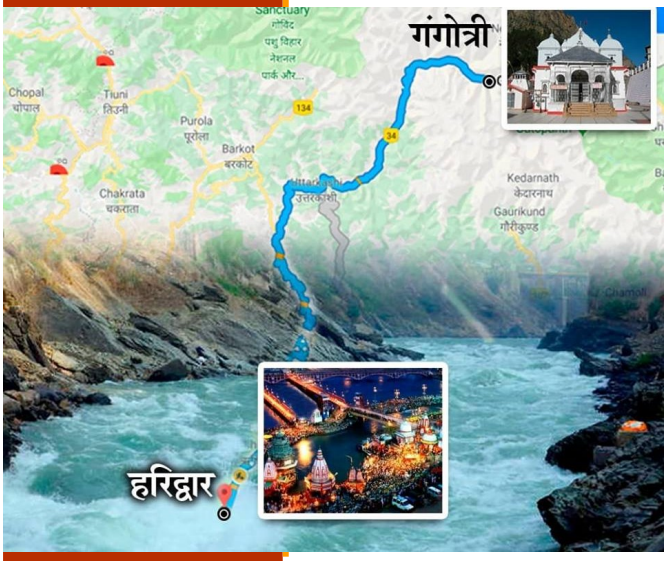

Besides this, according to Prof. G.D.Agarwal, dams, reservoirs, industries are major causes for the diversion of river water and obstructing its natural uninterrupted flow. For this, he had demanded a rejection of all hydroelectric projects along the Alaknanda, Dhauli Ganga, Mandakini and Pindar rivers. The government not only absolutely turned down his demands, but on the contrary, failed to provide or refer to any guidelines regarding what modifications the existing projects need to make to comply with the notification. It only answers the question of "how much" and "at what time" the water must be released, without adequately addressing the technical and practical implications.

Apart from the technical and methodological concerns, the notification also failed to address the ecological and biodiversity issues. Ganga has a rich floral and faunal diversity. It is a home to the some of the threatened species like the endangered Gangetic dolphin, the mahseer fish and the northern river terrapin. Therefore, it is important to have adequate flow to ensure free migration of these species. But, one finds no mention of these ecological concerns while arriving at the notified limits.

To conclude, E flows are an important part of the Integrated Water Resources Management (IWRM). An IUCN report titled, THE ESSENTIALS OF E FLOWS, mentions that an absence of e flows "puts at risk the very existence of ecosystems, people and economies." However, wrongly determined and implemented limits also serve no better purpose.

Jawahar Lal Nehru had said, "The Ganga to me is the symbol of India's memorable past, which has been flowing into the present and continues to flow towards the ocean of the future." Today the river's existence stands threatened, thereby threatening the ocean of India's future. For our own survival and for the revival of the health of the river and its ecosystem, it is an absolute necessity to ensure a pristine flow for the river. To achieve this goal, the government must incorporate suggestions from environmentalists, scientific community as well as other stakeholders and prescribe scientifically and mutually accepted e flow limits.

*****

"For our own survival and for the revival of the health of the river and its ecosystem, it is an absolute necessity to ensure a pristine flow for the river."

सीमायें तय करनी जरूरी है

साभार- मुकेश बहुगुणा

रावण बन जाता है, निरंकुश विकास।

बहुत पहले एक विज्ञापन आया था, शायद नैनो कार का था- टाटा का सपना, हर मुटठी में एक चाभी (कार की)। विज्ञापन निसंदेह लुभावना था, लोभ शब्द से बना है लुभावना। हम यह भी चाहते हैं कि हरेक के पास अपनी कार हो, और हम पर्यावरण खराब होने, बढ़ते प्रदूषण की चिंता भी करते हैं। अब कार होगी तो प्रदूषण भी होगा।

मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व श्री जी0डी0 अग्रवाल

हमें बिजली चाहिए, विजली न हो तो हम आन्दोलन करते हैं क्योंकि हमें लगता है बिना बिजली के हम पिछड़े हुए हैं, हमें सड़क भी चाहिए। सड़क न हो तो भी आन्दोलन हो जाता है कि इसके बिना विकास कैसे आएगा। और हम बड़े बांधों का विरोध भी करते हैं कि इनसे पर्यावरण खतरे में है। हम ताप बिजलीघर, विजलीघर, एटोमिक बिजलीघर का भी विरोध करते हैं कि इससे खतरा है। हम मकान बनाते हैं, बढ़िया पत्थर-सीमेंट भी लगाते हैं। और खनन से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ आन्दोलन भी करते हैं। हमें नित नए उद्योग भी चाहिए, लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, विकास होगा, किन्तु उद्योगों के कचरे से नदियां-हवा प्रदूषित होती हैं तो हम आन्दोलन भी करते हैं।

"हम तय नहीं कर पाए कि हमें कितनी बिजली चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितना विकास चाहिए, जीना है तो प्रकृति से कुछ तो लेना ही होगा, पर यह कितना लेना है वह तय करना जरूरी है।"

यह सब इसलिए हो रहा है कि हम तय नहीं कर पाए कि हमें कितनी बिजली चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितना विकास चाहिए, जीना है तो प्रकृति से कुछ तो लेना ही होगा, पर यह कितना लेना है वह तय करना जरूरी है।

सिर्फ सीमाएं ही तय नहीं करनी है, बल्कि यह भी तय करना होगा कि विकास का अर्थ क्या है? गांव में वार्ड मेम्बर/प्रधान पद के प्रत्याशी कहते हैं कि अगर मुझे जिताया तो में विकास करूंगा। उसका विकास कस्बों/शहरों की नकल है। कस्बों/शहरों में प्रत्याशी कहते हैं अगर हम आये तो विकास करेंगे। उनका विकास महानगरों की नकल का है। पिथौरागढ़-उत्तरकाशी का विधायक-सांसद विकास करने की बात करता है, तो देहरादून-

"हमें तय करना होगा कि हमें प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना वाले भारतीय दर्शन वाला विकास चाहिए या प्रकृति को गुलाम-दास समझने वाले पश्चिमी दर्शन वाला विकास?"

हल्द्वानी का विधायक-सांसद भी। विकास का पर्याय माने जाने वाले शहरों, दिल्ली, मुबई, बंगलौर, अहमदाबाद का विधायक/सांसद भी यह कहता है कि मैं जीता तो विकास करूंगा। तो यह विकास कैसा है, यह भी तय करना होगा।

हमें तय करना होगा कि हमें प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना वाले भारतीय दर्शन वाला विकास चाहिए या प्रकृति को गुलाम-दास समझने वाले पश्चिमी दर्शन वाला विकास?

प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जिन मुद्दों के लिए अनशन करते हुए मर गए (उन्हें विकास ने मारा है), वे यही हैं, कि सीमायें तय हो जाय।

वे विकास विरोधी नहीं थे, बल्कि निरंकुश विकास के विरोधी थे।

पर यह बातें उनकी समझ में बिलकुल ही नहीं आएंेगी जो भारत को कभी पेरिस-टोकियो-न्यूयार्क, तो कभी स्विट्जरलैंड-बीजिंग-लन्दन बनाना चाहते हैं। और उसी को विकास मानते हैं। ये देश अगर पेरिस-टोकियो-न्यूयार्क, स्विट्जरलैंड-बीजिंग-लन्दन आदि बन भी गया तो भारत कहां बचेगा? भारत के विकास को तो भारत के संदर्भाेंं में ही समझना होगा।

भारतीय मिथकों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें जिसे भी अमरता-निरंकुशता का वरदना मिला है वह राक्षस बन गया है। लंका भी सोने की ही थी, पूरा शहर ही सोने का हो जाय, इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता था?

प्रोफेसर अग्रवाल इसी राक्षस के खिलाफ लड़ रहे थे। किन्तु दानवी बुद्धि के विकास के हाथों मारे गए। वे चाहते थे विकास की सीमायें तय हों।

हमें क्या चाहिए यह तय करना जरूरी तो है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें कितना चाहिए?

हमें तय करना होगा कि हमें प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना वाले भारतीय दर्शन वाला विकास चाहिए या प्रकृति को गुलाम-दास समझने वाले पश्चिमी दर्शन वाला विकास?

*****

Relevant Audio/Video Links and Pictures

Conversation between Swami Sanand and Chief Secretary of Uttarakhand

In this conversation Swami Sanand, highlighting several issues threatening Ganga Ji including his observation of the poor state of Ganga Ji near Tehri dam, its water unfit for drinking, deforestation, flow of construction debris into the river. Pointing out these issues, Swami Sanand criticizes the government for not being able to deliver on their electoral promises to clean the river and ignoring his previous letters and demands. Please follow following link to the video:

https://www.youtube.com/watch?

Short Interview of Swami Sanand

In the interview given to 'Down to Earth', swami Sanand talks about his idea of an uninterrupted flow of the Ganges, details of the studies conducted on the pathogen killing capabilities of the Ganga water and his disappointment with the administration's efforts on Ganga Rejuvenation. The heart touching video includes his announcement to stop taking water from the 10th of October, 2018 and embrace even death for the sake of Mother Ganga, as he calls her. The Gandhian Ganga Warrior later passed away on 11th October, 2018. For complete video please follow the link below.
https://www.youtube.com/watch?

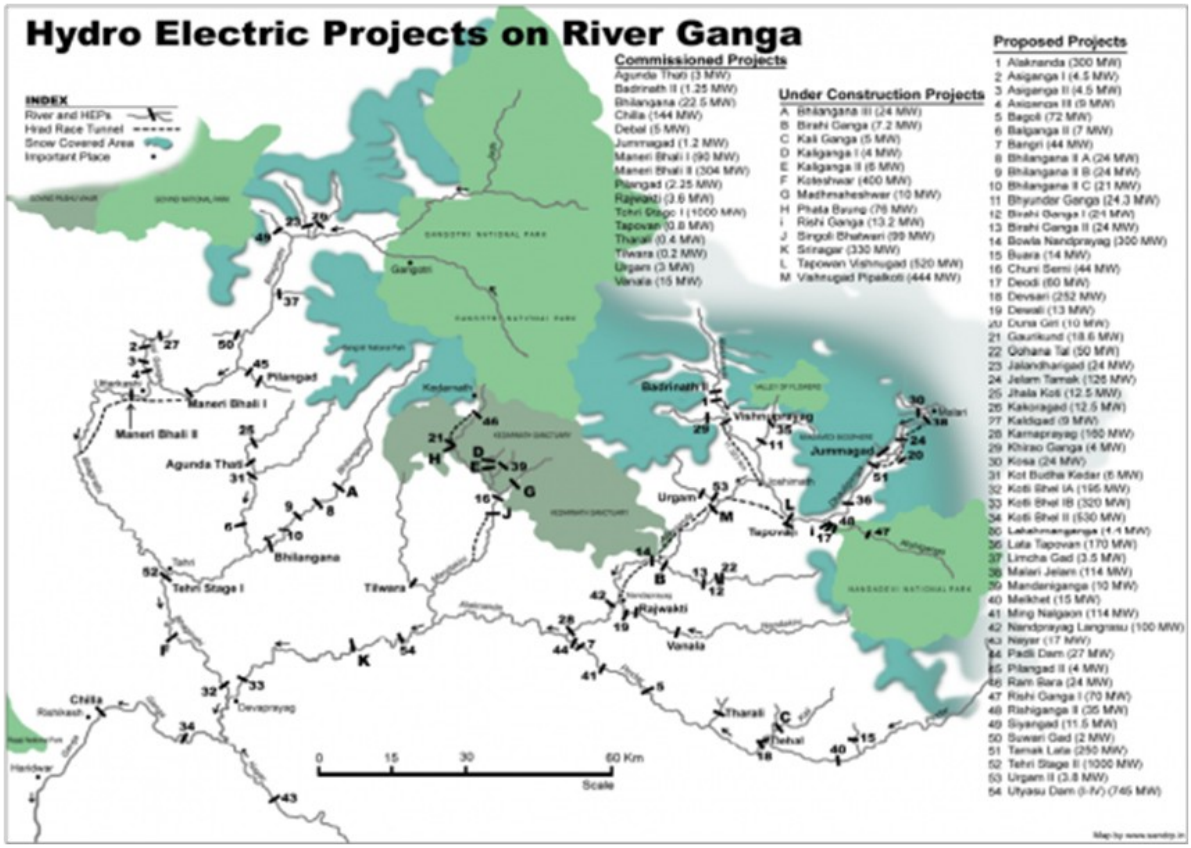

The list of proposed Hydro power projects on the River Ganga.

Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Jawahar Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)

Phone: +91-11-23312456, 23755117/118
E mail: info@rgics.org

Disclaimer:

This document has been prepared by the RGICS staff and has not been seen by the Trustees of the Rajiv Gandhi Foundation (RGF). Further, the views presented in this document in no way reflect the views of the RGF Trustees.